

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB KARNAL Year (वर्ष): 2021
FIR No. (प्र.सू. सं.): 0010 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 22/09/2021 10:25 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
- 1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/09/2021 Time (समय): 09:59 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 007 Date and Time (दिनांक और समय): 22/09/2021 09:59 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 60 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Inspr Kanupriya

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 09/02/1982

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	460 sector -8, Karnal, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	460 sector -8, Karnal, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9050222261

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नरेन्द्र कुमार लिपिक कार्यालय उपमण्डल अभिन्ता बिजली बोर्ड डिविजन इसराना		Father's Name: दरियाव सिंह	1. खुशीराम कॉलोनी, इसराना जिला पानीपत PANIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल, जयहिन्द, निवेदन है कि आज मन निरीक्षक हाजिर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल उपस्थित हूँ इस समय एक अन्तिम रिपोर्ट जाँच क्रमांक 02 दिनांक 08.09.2017 पानीपत मय आदेश मुख्य सचिव हरियाणा सरकार व अन्य दस्तावेज बजरिया डाक अभियोग पंजीकृत करने हेतु मन निरीक्षक को प्राप्त हुए हैं। जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के यदि क्रमांक 11647/आई-1/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 12.09.2017 अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार, लिपिक कार्यालय उपमण्डल अभिन्ता बिजली बोर्ड डिविजन इसराना जिला पानीपत के विरुद्ध दर्ज करके मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी। जिसमें श्री सौरव वकील चैम्बर न0 178, जिला अदालत करनाल की शिकायत के आधार पर नरेन्द्र कुमार हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड पुत्र दरियाव सिंह निवासी गाँव शामडी जिला सोनीपत हाल निवासी खुशीराम कॉलोनी ईसराना जिला पानीपत द्वारा अवैध तरीके से आय से अधिक सम्पति अर्जित करने बारे आरोप की जाँच की जानी थी। जिस जाँच की पडताल तत्कालिन निरीक्षक उमर मोहम्मद, रा0चौ0ब्यू0, उपकेन्द्र पानीपत द्वारा अमल में लाई जाकर अन्तिम रिपोर्ट प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार के विरुद्ध धारा 13(1) ई0 पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करने का सुझाव देकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पत्र क्रमांक 7606/रा0चौ0ब्यू0, हरियाणा, दिनांक 27.07.2020 अनुसार मुख्य सचिव को भेजी गई थी। जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 47/40/2017-3 चौकसी-II दिनांक 23.08.2021 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 13469/आई-5/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 31.08.2021 अनुसार आरोपी नरेन्द्र कुमार उर्फ नीडू पुत्र श्री दरियाव वासी गाँव शामडी जिला सोनीपत हाल वासी खुशीराम कॉलोनी ईसराना जिला पानीपत के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने बारे आदेश प्राप्त हुए हैं। जाँच की अन्तिम रिपोर्ट व दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पाया गया कि प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार द्वारा वेतन भविष्य निधि खाता से निकलवाई गई राशि व सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से लिए गए ऋण व उसकी पत्नी बाला देवी की सिलाई, कढ़ाई से हुई कुल आय 36,31,986/-रु0 होनी पाई गई। प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार द्वारा नौकरी लगने उपरान्त वर्ष 2003 में 100 वर्ग गज का प्लाट 30,000/-रु0 में खरीदना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा अपने विभाग से अनुमति लेनी पाई गई। प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2014 में 250 वर्गगज प्लाट 12 लाख रु0 में खरीदकर उस प्लाट पर मकान बनाने बारे विभाग से कोई अनुमति लेनी नहीं पाई गई। अन्तिम रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी द्वारा 250 वर्गगज के प्लाट पर बनाए गए मकान का मूल्यांकन उपमण्डल अभियन्ता रा0चौ0ब्यू0, मुख्यालय पंचकुला से करवाया गया। उपमण्डल अभियन्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी द्वारा इस मकान के निर्माण पर 31,65,000/-रु0 खर्च किए जाने पाए गए। प्रतिवादी द्वारा नौकरी के दौरान प्लाटों की खरीद व मकान बनाने पर कुल 43,95,000/-रु0 खर्च किए जाने पाए गए हैं। प्रतिवादी की जात स्त्रोतों से कुल 36,31,986/-रु0 आय होनी पाई गई है। जबकि प्रतिवादी द्वारा चल/अचल सम्पति पर कुल 43,95,000/-रु0 खर्च किए जाने पाए गए हैं। इस प्रकार प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार द्वारा 7,63,014/-रु0 आय से अधिक खर्च करने पाए गए हैं। प्रतिवादी नरेन्द्र जाँच के दौरान इस अधिक आय होने के स्त्रोत जाँच अधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार उर्फ नीडू पुत्र श्री दरियाव निवासी गाँव शामडी जिला सोनीपत हाल निवासी खुशीराम कॉलोनी ईसराना जिला पानीपत द्वारा अपनी नौकरी के दौरान 7,63,014/-रु0 आय से अधिक की सम्पति अर्जित करके अपराध के समय प्रचलित जेर धारा 13(1) r/w धारा 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 का अपराध किया है। लिहाजा तहरीर हजा बराए कायमी मुकदमा अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज करके अनुसन्धान के लिए दूसरा अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त किया जाए। Sd Kanupriya 22-09-2021 निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल अज थाना :- उपरोक्त तहरीर पर कायमी मुकदमा नं0 10 दिनांक 22/09/2021 U/S 13(1) r/w धारा 13(2), भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, को बजरिया E-Mail सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार निजद निरीक्षक उप पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र कुमार, ह0पु0से0, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र पानीपत के बदस्त सहायक उप निरीक्षक अन्कुश न0 1087/करनाल भेजी जा रही है। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक कनुप्रिया की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Narender Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
- No. (सं.): HPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manbir Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/02/1974				
						Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

